

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, (मध्य क्षेत्र),
केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।

विषय:- कार्योपरान्त स्वीकृति (Ex-post Facto) के अन्तर्गत जनपद हाथरस में नगला उम्मेद-नगला भुस मार्ग (अन्य जिला मार्ग) (पुराना हाथरस-आगरा मार्ग) किमी० 03 चैनेज-2.243 की बांयी पटरी पर खसरा संख्या-10 में मै० इण्डियन ऑयल कार्पो० लि०, द्वारा न्यू रिटेल आउटलेट के सम्पर्क के निर्माण हेतु 0.069777 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव FP/UP/Approach/44699/2020

सन्दर्भ:- भारत सरकार का पत्रांक-8बी०/यू०पी०/06/68/2022/एफ०सी०/86, दिनांक-29.07.2024

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में की गयी बिन्दुवार आपत्तियों का निराकरण कर वांछित सूचना/अभिलेख वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ ने अपने पत्रांक-502/14-1, दि० 21.08.2024 द्वारा ऑनलाईन प्रेषित किया गया है।

अतः वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ द्वारा ऑनलाईन अपलोड कर प्रेषित की गयी बिन्दुवार आपत्तियों का निराकरण इस अनुरोध के प्रेषित किया जा रहा है कि कृपया विषयगत प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय

(प्रमोद कुमार गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या- 666/11-सी FP/UP/Approach/44699/2020, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।
- 2- प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस वन प्रभाग, हाथरस।
- 3- मुख्य प्रबन्धक(रिटेल सेल्स) इण्डियन ऑयल कार्पो० लि०, आगरा मण्डल, कार्यालय 65/2, संजय प्लेस, आगरा-282002 (यू०पी०)।

(प्रमोद कुमार गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या- 666/11-सी FP/UP/Approach/44699/2020, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2, लखनऊ को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(प्रमोद कुमार गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

कार्यालय वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक 502- / 14-1 (44699/2020) दिनांक: अलीगढ़ अगस्त: 2।, 2024

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय:-

कार्योपरान्त स्वीकृति (Ex-post Facto) के अन्तर्गत जनपद-हाथरस में नगला उम्मेद भुस मार्ग (अन्य जिला मार्ग) (पुराना हाथरस- आगरा मार्ग) किमी 0 03 (बैनेज-2.243) की बांथी पट्टरी खसरा संख्या-10 में गैर इण्डियन आयल कारपोरेशन लि० द्वारा न्यू रिटेल आउटलेट सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.069777 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।
प्रस्ताव संख्या-एफ०पी०/ यूपी०/एप्रोच/44699/2020

सन्दर्भ:-

- 1- भारत सरकार की पत्र सं०-08वी/यू०पी०/06/68/2022/एफ.सी./86 दिनांक 29.07.2024.
- 2- आपका पत्रांक-293/11सी-एफ.पी./यू.पी./एप्रोच/44699/2020 दिनांक 31.07.2024.
- 2- प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस का पत्रांक-438/14-1 दिनांक 16.08.2024.

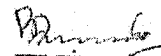
महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा लगायी गयी आपत्ति का निराकरण कर प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस वन प्रभाग, हाथरस के सन्दर्भित पत्र से उपलब्ध कराया गया है, जो कि संलग्नक सहित ऑनलाइन कर निम्न प्रकार प्रेषित है:-

Sl.No.	Observation	Reply
1-	Action Should be initiated under clause 1-16 (i)b, under section 3A & 3B for violation, under van (sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam 1980.	प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त प्रतिष्ठान प्रभागीय कार्यालय, हाथरस के पत्रांक-293/14-1, दिनांक 03.07.2023 द्वारा बन्द कराकर संरक्षित वन क्षेत्र के गैर वानिकी प्रयोग को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जा चुका है तथा एफ०सी०ए० गाइड लाईन दिनांक 15.05.2023 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-0032 दिनांक 22.02.2024 दर्ज करायी जा चुकी है। वर्तमान में वाद मा० न्यायालय, हाथरस में विचाराधीन है। (संलग्नक-)

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,


वन संरक्षक,

अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक- / 14-1, दिनांकित।

प्रतिलिपि:-प्रबन्धक इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड आई०ओ०सी० भवन 65/2 संजय प्लेस आगरा-282002 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस वन प्रभाग, हाथरस को उक्त सन्दर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।